



कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग
☎ 06546-222339, Email- dfo.hazaribaghw@rediffmail.com & dfo-hazaribaghw@gov.in

पत्रांक 3063

दिनांक 11/9/2020

सेवा में,

अपर महाप्रबंधक (खनन),
एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड,
पकरी बरवाडीह कोयला खनन,
परियोजना, पी0बी0सी0एम0पी0,
सिकरी साईट, बड़कागॉव, हजारीबाग

विषय:- **N.T.P.C पकरीबरवाडीह उतरी ब्लॉक कोल माइनींग खनन परियोजना हेतु 331.198 हे0 वन भूमि का अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग:- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग का पत्रांक 2090 दिनांक 08.09.2020 एवं पत्रांक 2102 दिनांक 10.09.2020 (छाया प्रति संलग्न)।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयक प्रस्ताव के भूमि विवरणी में कुल 8 ग्रामों में अपयोजित होने वाली वन भूमि एवं जंगल झाड़ी भूमि की विवरणी दी गई है। परन्तु प्रस्ताव के साथ संलग्न उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा मात्र पांच ग्राम बसरिया, कण्डावेर, सिरमा, नावाडीह एवं बारियातु में अपयोजित होने वाली जंगल झाड़ी भूमि का ही वनाधिकार प्रमाण पत्र एवं अनापति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। उक्त ग्रामों में अपयोजित होने वाली वनभूमि का FRA प्रमाण पत्र एवं ग्राम उरुब एवं बेलतु में अपयोजित होने वाली वन भूमि तथा जंगल-झाड़ी दर्ज भूमि का अनापति प्रमाण पत्र अप्राप्त है।

अतएव अनुरोध है कि प्रस्ताव में सन्निहित होने वाली सभी ग्रामों के वनभूमि एवं जंगल झाड़ी दर्ज भूमि का उपायुक्त, हजारीबाग द्वारा निर्गत FRA प्रमाण पत्र, जंगल झाड़ी भूमि का अनापति प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही प्रस्ताव के साथ संलग्न कर समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय।

ऑनलाईन प्रस्ताव एवं प्रस्ताव की हार्ड कॉपी मूल रूप में इस पत्र के साथ संलग्न कर सभी प्रति वापस की जा रही है।

अनु0-यथोक्त।

आपका विश्वासी

वन प्रमंडल पदाधिकारी
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल



कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

वन भवन-1, हजारीबाग 825301 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (O) - 06546-222393, Cell No. : 8987790202 E-mail: cf-hazaribagh@gov.in

पत्रांक 13-E-5-12/2019- 2102

दिनांक :- 10.09.2020

सेना में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल।

विषय :- एनटीपीसी लिमिटेड के पर्यावरणवादी वन अनापति प्रमाण प्रस्तोचना हेतु 291.490 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक 2090 दिनांक 08.09.2020 आपका पत्रांक 2974 दिनांक 04.09.2020 एवं पत्रांक 2766 दिनांक 21.08.2020


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयक प्रस्ताव के भूमि विवरणी में कुल 8 ग्रामों की अपयोजित होने वाली वनभूमि एवं जंगल झाड़ी भूमि की विवरणी दी गई है। परंतु प्रस्ताव के साथ संलग्न उपायुक्त हजारीबाग द्वारा मात्र पांच ग्राम बसरिया, कण्डाबेर, सिरमा, नावाडीह एवं बारियातु में अपयोजित होने वाली जंगल झाड़ी भूमि का ही वनाधिकार प्रमाण पत्र एवं अनापति प्रमाण निर्गत किया गया है। उक्त ग्रामों में अपयोजित होने वाली वनभूमि का FRA प्रमाण अप्राप्त है।

अतएव अनुरोध है कि प्रस्ताव में सन्निहित होने वाली सभी ग्रामों के वनभूमि एवं जंगल झाड़ी दर्ज भूमि का उपायुक्त हजारीबाग द्वारा निर्गत FRA प्रमाण पत्र एवं जंगल झाड़ी भूमि का अनापति प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ समर्पित करना सुनिश्चित करें।

ऑनलाईन प्रस्ताव एवं प्रस्ताव की हार्ड कॉपी मूल रूप में इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र द्वारा वापस की जा चुकी है।

आपका विश्वासी


वन संरक्षक

प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग
10.09.2020



कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग
वन भवन-1, हजारीबाग 825301 (झारखण्ड)
Ph. & Fax (O) - 06546-222393, Cell No. : 8987790202 E-mail: cf-hazaribagh@ecv.in

पत्रांक 13-E-5-12/2019-2020

दिनांक :- 04.09.2020

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल।

विषय :- एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड के पकरीबरवाडीह कोल खानन उद्योगी पश्चिमी परियोजना हेतु 331.198 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक 2874 दिनांक 04.08.2020 एवं पत्रांक 2785 दिनांक 21.08.2020

महाराज,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि विषयक प्रस्ताव के भूमि विवरणों में कुल 7 ग्रामों की जंगल झाड़ी भूमि की विवरणी दी गई है। परंतु प्रस्ताव के साथ संलग्न उपायुक्त हजारीबाग द्वारा निर्गत जंगल झाड़ी के अनापति प्रमाण पत्र में मात्र पांच ग्राम (बत्तरिया, कम्हाबेर, सिरमा, नावाडीह एवं वारियातु) का ही अनापति निर्गत किया गया है। शेष बचे दो ग्राम बेलतु एवं उरुब में अपयोजित होने वाली जंगल झाड़ी भूमि का उपायुक्त हजारीबाग से निर्गत अनापति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

अतएव आपके द्वारा समर्पित प्रस्ताव की मूल आठ प्रति एवं Online प्रस्ताव इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस करते हुए निर्देशित करना है कि उपरोक्त दोनों ग्राम का उपायुक्त हजारीबाग द्वारा अनापति प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करें। साथ ही प्रस्ताव की पुनः समीक्षा कर त्रुटि रहित प्रस्ताव समर्पित करना सुनिश्चित करें

अनुलग्नक-उपरोक्त

आपका विश्वासी

वन संरक्षक

प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग